न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—80/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/80)

1. काना पुत्र श्री नारायण कुमावत, उम्र 62 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी नयागांव, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री लादु कुमावत उम्र 67 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. भंवरलाल पुत्र श्री रामलाल कुमावत उम्र 32 वर्ष जाति कुमावत, निवासी नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. कालूराम पुत्र श्री रामलाल कुमावत उम्र 27 वर्ष जाति कुमावत, निवासी नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
4. हरलाल पुत्र श्री लादु कुमावत उम्र 57 वर्ष जाति कुमावत, निवासी नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी जिला केकडी।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 26.02.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 2019/19 (2019/00156)

उपस्थितः—

1. श्री मनीष खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05

31.10.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

निर्णय

दिनांकः–31.10.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 19/2019 (2019/00156) में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नयागांव तहसील केकडी स्थित आराजी खसरा संख्या 529 रकबा 0.23 है0 531, रकबा 0.02 है0 तथा 532 रकबा 0.04 है0 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 512 रकबा 0.06 है0 533, रकबा 0.26 है0 तथा 534 रकबा 0.04 है0 में स्थित विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौडा करने का आशय रखते है। खसरा सख्या 533 व 534 अपीलार्थी/अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें से रास्ता प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रत्यार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा तहसीलदार केकडी से मौका रिर्पोट तलब की गई तत्पश्चात सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 26.2.2021 पारित किया जाकर अपीलार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 533 में से कुल 600 वर्गमीटर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने नक्शा ट्रेस में तरमीम करने तथा प्रतिकर राशि का भुगतान किए जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 19/2019 (2019/00156) में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी नहीं रही प्रार्थी को केवल मोका रिपोर्ट बनाते समय बुलाया गया परंतु उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं दी गई इसलिए प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में प्रतिरक्षा हेतु उपस्थित नहीं हो सका तथा प्रार्थी की अनुपस्थिति में आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। आदेशिका दिनांक 26.8.2017 में पत्रावली को जवाब हेतु नियत किया गया परंतु प्रार्थी के नोटिस पर्याप्त रूप से तामिल होने अथवा अदम तामिल प्राप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है तथा ना ही प्रार्थी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के संबंध में कोई उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही भी अमल में नहीं लाई गई। दिनांक 16.1.2023 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर नापचौक किया जाने लगा जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति की गई तब राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आदेश की जानकारी दी गई तत्पश्चात उक्त प्रकरण की समस्त जानकारी की जाकर दिनांक 19.1.2023 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। प्रार्थी को उक्त आदेश की प्रारम्भ से जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में विलंब कारित हुआ है जो सदभाविक विलंब है जिसे क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से उक्त अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की

31.10.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

गई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आदेशिका दिनांक 26.8.2017 में पत्रावली को जवाब हेतु नियत किया गया परंतु अपीलार्थी के नोटिस पर्याप्त रूप से तामिल होने अथवा अदम तामिल प्राप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है तथा ना ही अपीलार्थी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के संबंध में कोई उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही भी अमल में नहीं लाई गई जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का नोटिस पर्याप्त रूप से तामिल नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी द्वारा रास्ते हेतु जमीन देने पर प्रतिकर राशि हेतु सहमति नहीं दी गई बल्कि जमीन के बदले जमीन की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में मौका रिपोर्ट में जमीन के बदले जमीन की मांग की जाने के बावजूद भी जमीन के बदले जमीन नहीं दिए जाने के बाबत किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं दिया गया। तहसीलदार केकडी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी खातेदार की भूमि से रास्ता देने से पूर्व वैकल्पिक रास्ते पर विचार किया जाना आवश्यक है परंतु मौका रिपोर्ट दिनांक 11.01.2021 तथा 04.01.2021 में वैकल्पिक रास्ते के बाबत कोई मौका नहीं देखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। जो प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के अनुसार रास्ते के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा भू–अभिलेख अधिकारी से अनिम्न द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपना कार्य तहसीलदार केकडी को सौंप दिया गया तथा तहसीलदार केकडी द्वारा उक्त कार्य हल्का पटवारी तथा हल्का गिरदावर को सौंप दिया गया जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्यायोजित कार्य को आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक सिद्धांत को नजरअंदाज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी नहीं रही अपीलार्थी को केवल मौका रिपोर्ट बनाते समय बुलाया गया परंतु उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं दी गई इसलिए अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में प्रतिरक्षा हेतु उपस्थित नहीं हो सका तथा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। दिनांक 16.01.2023 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर नाप चौप किया जाने लगा जिस पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति की गई तब राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आदेश की जानकारी दी गई तत्पश्चात उक्त प्रकरण की समस्त जानकारी की जाकर दिनांक 19.1.2023 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। प्रार्थी को उक्त आदेश की प्रारम्भ से जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में विलंब कारित हुआ है जो सदभाविक विलंब है जिसे क्षमा किया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से उक्त अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 19/2019 (2019/00156) में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन झूठे है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नयागांव की जमाबंदी संवत 2072–75 तहसील केकडी जिला अजमेर में आराजीयात स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड नक्शा टेस व जमाबंदी में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। किंतु मौके पर स्थित खसरा नम्बर 512 रकबा 0.06 खसरा नम्बर 533 रकबा 0.026 तथा खसरा नम्बर 534 रकबा 0.04 है0 में रास्ता उपलब्ध है जिसमें से खसरा नम्बर 512 रकबा 0.06 है सरकारी सिवायचक भूमि में मौके पर रास्ता मौजूद हैं। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली अनुपस्थित रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार केकडी से रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मंगवाई गई। वकील(वर्तमान रेस्पोडेंट) प्रार्थी ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम नयागांव जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 226–217 के खसरा संख्या 529 रकबा 0.2300 है0 तथा खाता सख्या 18–19 खसरा नम्बर 531 रकबा 0.0200 गै0मु0 चाह 532 रकबा 0.0400 गै0मु0 चाह किता 2 रकबा 0.0600 बीघा खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। खसरा नम्बर 512 रकबा 0.06 बीघा व खसरा नम्बर 533 रकबा 0.26 बीघा तथा खसरा नम्बर 534 रकबा 0.04 है0 में से आने जाने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी विंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2021 का है। दिनांक 16.1.2023 को मौके पर नाप चौक राजस्व कर्मीयों द्वारा किए जाने पर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

16.2.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थी को जानकारी होना बताया गया है। उसके बाद दिनांक 19.1.2023 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई है। न्यायालय हाजा में दिनांक 21.9.2023 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। दिनांक 26.8.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु तय थी। यह सही है कि अपीलांट को दिए गए नोटिस की तामिल हुई अथवा नहीं हुई यह न्यायालय आदेशिका से स्पष्ट नहीं होता है। न्यायालय आदेशिका दिनांक 16.7.2019 से 30.2.2021 अवलोकन किया गया पूरी प्रोसिडिंग में कहीं भी वादी/अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही बाबत कोई आदेश दिया जाना नहीं पाया जाता ऐसी स्थिति में उसे दिनांक 26.2.2021 के आदेश की जानकारी नहीं रही होगी। अतः जानकारी दिनांक 16.1.2023 से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

9. प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रथम पेशी दिनांक 29.3.2023 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2021 की कियान्विति को अगले आदेश तक स्थगित करते हुए विवादित आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया गया।

10. बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गई वकील अपीलांट ने बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष 251 ए आरटी एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, तथा यह कहा कि अपीलांट के अनुसार रेस्पोडेंट उसके खातेदारी खेत खसरा नम्बर 533 रकबा 0.26 है0 तथा खसरा नम्बर 534 रकबा 0.04 है0 में से होकर खसरा नम्बर 529 तक पहुंचना चाहते हैं। अपीलांट अभिभाषक के अनुसार दिनांक 16.7.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। दिनांक 26.8.2019 को जवाब हेतु नियत था मेरी उपस्थिति/अनुपस्थिति का कहीं अंकन नहीं किया गया मेरे कहीं हस्ताक्षर नहीं है। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को कोई आदेश नहीं दिया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.1.2021 को मौका रिपोर्ट दी गई है। दिनांक 26.2.2021 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया, तथा हमारी 600 वर्ग मीटर भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर ली गई। निर्णय से पूर्व पत्रावली जवाब में दो वर्ष तक चलती रही। अनुपस्थिति पर हमारे विरूद्ध कोई एकपक्षीय आदेश नहीं दिया गया तामिल प्रोपर नहीं है। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार अधिकृत है। मगर अधिकार डेलिगेट किए गए है। प्रथम रिपोर्ट पटवारी द्वारा दिनांक 4.1.2021 को बनाई गई। उक्त रिपोर्ट में हमने जमीन के बदले जमीन मांगी थी इस बात का अंकन किया गया है। इस बात पर दोनों पक्षों के मध्य सहमति थी तहसीलदार ने भी इस बाबत अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है जबकि वह मोके पर नहीं गया पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। वैकल्पिक रास्ते हैतु कॉलम नम्बर 5 को खाली रखा गया है। तीनों मौका रिपोर्ट का हवाला एसडीओ ने दिया है। हस्ताक्षर भी माने हैं मगर तहसीलदार की रिपोर्ट पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं जमीन के बदले जमीन की मांग बाबत उपखण्ड अधिकारी द्वारा फाईन्डिंग नहीं दी गई। उपखण्ड अधिकारी का आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश है क्यों कि इसमें सभी तथ्य शामिल नहीं किए गए है।

11. रेस्पोडेंट अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि हम रास्ता क्यों मांग रहे हैं यह इन्होंने नहीं बताया हमारे खेत के उपर सार्वजनिक कुआ है 20 –30 खेत वाले यहां आते हैं। रास्ता चौडा कर दर्ज करवाना चाहते हैं। कदीमी रास्ता है। इनके खेत हमारे खेते के उपर है। इन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था। दिनांके 1.1.2021 को गिरदावर कार्यालय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

से नोटिस जारी किया गया था जो इन्होंने (काना ने) प्राप्त किया था। हमारा प्रार्थना पत्र 2019 का है। दिनांक 4.1.2021 की मौका रिपोर्ट इन्हें पढकर सुनाई गई थी इनकी सहमति थी उस पर इनके हस्ताक्षर भी है। अपील में दो वर्ष बाद आए है। 251 ए में भूमि के बदले भूमि मांगे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रतिकर राशि 32000 हजार रूपए इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं गिरदावर व तहसीलदार रिपोर्ट बना सकते हैं इन्हे जानकारी थी अब तामिल का प्रश्न नहीं उठा सकते। कदीमी रास्तों बाबत राज्य सरकार का परिपत्र भी आया हुआ है।

12. रिब्युटल में वकील अपीलांट ने बताया कि रास्तो को चौडा करने में जाने वाली भूमि बाबत हमारा एतराज है। एसडीओ न्यायालय से हमें तामिल नहीं हुआ। तहसीलदार की रिपोर्ट में यह गलत अंकन है कि पक्षकारों के हस्ताक्षर है। एसडीओं ने तहसीलदार को निर्देशित किया था। दिनांक 3.7.2019 को भीं मौका रिपोर्ट तैयार हुई थी हमें अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16.1.2023 को हुई। तहसीलदार की रिपोर्ट में कम संख्या 9 मे भूमि के बदले भूमि बाबत बिंदु अंकित है तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अपनी उपस्थिति नहीं बताई है। प्रकरण को रिमांड किया जाए।

13. बहस बिंदुओं पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया यह सही है कि अपीलांट के विरूद्ध कभी भी एकपक्षीय कार्यवाही बाबत न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिए गए थे। मगर दिनांक 26.8.2019 को तहसीलदार केकडी की रिपोर्ट में प्रतिवादी /अपीलांट काना को दिनांक 19.8.2019 को भेजे गए हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना नोटिस पर काना के हस्ताक्षर पाए गए है। अर्थात उसे तामिल करवाई गई थी। दिनांक 4.1.2021 की मौका रिपोर्ट पर काना के भी हस्ताक्षर दिखाई पडते हैं। इससे पूर्व दिनांक 1.1.2021 को गिरदावर बघेरा द्वारा एक नोटिस जारी किया गया थां। जिसमें दिनांक 4.1.2021 को मौके पर उपस्थित रहने के लिए वादी को और प्रतिवादी को निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग पर वर्तमान रेस्पोडेंट और अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित हैं। मौका रिपोर्ट दिनांक 4.1.2021 गिरदावर बघेरा की उपस्थिति में बनाई गई थी। गिरदावर राजस्थान सरकारी काश्तकारी नियम 1955 के तहत नियम 69 मौका रिपोर्ट बनाने के लिए अधिकृत है। मौका रिपोर्ट दिनांक 4.1.2021 के बिंदु 5 ख में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी रकम पर सहमत नहीं है जमीन के बदले जमीन चाहते हैं। भूमि के बदले भूमि दिए जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में कोई प्रावधान नहीं है। अतः वकील अपीलांट के इस आक्षेप को निरस्त किया जाना न्यायालय उचित समझता है कि इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई फाईन्डिग नहीं दी गई है। जहां तक वैकल्पिक रास्ते बाबत वकील अपीलांट के आक्षेप हैं कि कॉलम संख्या 5 में इस बिंदु को रिक्त रखा गया है। वर्तमान प्रकरण में स्थिति भिन्न है प्रस्तावित रास्ता पूर्व में ही कदीमी रास्ते के रूप में काम में लिया जा रहा हैं रेस्पोडेंट द्वारा उक्त रास्ते को चौडा करवाने हेतु मांग की गई थी। वकील अपीलांट ने स्वयं रिब्यूटल में यह बताया कि रास्ते को चौडा करने में जाने वाली भूमि बाबत हमारा एतराज है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक रास्ते बाबत विवाद की इस प्रकरण में कोई गुंजाइश नहीं है।

14. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी को प्रोपर तामिल करवाई गई है। दिनांक 1.1.2021 को गिरदावर बघेरा द्वारा उसे मौका निरीक्षण बाबत प्रोपर तामिल करवाई गई है। मौका रिपोर्ट भी सक्षम स्तर के अधिकारी गिरदावर द्वारा(नियम 69 की पालना की गई है) तैयार की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

गई है। प्रतिकर राशि भी अपीलांट द्वारा प्राप्त की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत 251 ए के आंरटी एक्ट के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया गया है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

15. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 19/2019 (2019/00156) बउनवानी रामकिशन व अन्य बनाम काना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

31.10.2023
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 31.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

31.10.2023
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner